कार्यालय–वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

पत्रांक– 800 /33–1, दिनांक गोण्डा, सितम्बर 06 /2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– जनपद गोण्डा में फरेन्दा–जरवल मार्ग एस0एच0–1ए (नव घोषित एन0एच0–30) के कि0मी0 218.400 से 217.600 के मध्य बायीं पटरी पर गाटा सं0–1261 व 1262 ग्राम सकरौरा नगर तह0 करनैलगंज जिला गोण्डा में प्रस्तावित आई0ओ0सी0एल0 रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.017248 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–643 / 11–सी–FP/UP/Approach/143095/2021, दिनॉक 24.08.2021 तथा प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा का पत्रॉक–1034 / 33–1, दिनॉक 05.09.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के कम में सादर अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव अनुमोदन हेतु इस कार्यालय के पत्रॉक–264 / 33–1, दिनॉक 20.07.2021 द्वारा आपकी सेवा में भेजा गया था, जिसमें भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ एवं आप द्वारा 02 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गई है, जिसका निराकरण करने हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा को निर्देशित किया गया। ततकम में प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा ने अपने पत्रॉक–1034 / 33–1 दिनॉक 05.09.2021 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा आपत्ति का निराकरण कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव से सम्बन्धित आपत्ति का निराकरण कर आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
6/9/21
(डा0 अनिरूद्ध पाण्डेय)
वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

पत्रॉक– 800 /अ उक्त दिनॉकित।

प्रतिलिपिः–प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा को उनके पत्रॉक–1034 / 33–1 दिनॉक 05.09.2021 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 अनिरूद्ध पाण्डेय)
वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

D:\office 07-07-2018\OFFICE 02-05-2018\court case\VFC Genral forwding .docx ram lal